

ORDER - SHEET

27/2/2020 आरक्षी केन्द्र आबकारी वृत्त देपालपुर के अपराध क्रमांक

अंतर्गत धारा 34(1)(क) म0प्र0आबकारी अधिनियम के आरोपी

जितेंद्र पिता गानसिंह जी ४५

नियामा ग्राहक भववा

के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।

१६/०२/२०

अभियोग पत्र के परिशीलन उपरांत धारा 190 (1) (ख) द.प्र.सं. के अधीन मामले का संज्ञान लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय की नियमित दार्ढिक प्रकरणों की पंजी में विधिवत पंजीबद्ध किया जावे। धारा 207 द.प्र.सं. के अनुपालन में अभियुक्त को अभियोग एवं प्रपत्रों की प्रतिलिपि दिलाई गई। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति विधिवत मालखाना विभाग में जमा की जावे।

आरोपी आज स्वयं उपस्थित हैं।

उसने प्रकट किया है कि वह स्वयं अपना पक्ष समर्थन करते हुये अपराध स्वीकारोक्ति करना चाहते हैं। अभियुक्त को यह समझाया गया कि वह स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह अपराध स्वीकारोक्ति करता है तो उसके विरुद्ध उपयोग में लिया जाकर उसे कारावास के दंडादेश से भी दंडित किया जा सकता है। इस पर अभियुक्त का कहना है कि वह स्वेच्छया बिना किसी मय, दबाव व लालच के अपराध स्वीकार करना चाहता है।

तदनुसार संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अपनाकर संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रपत्र पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म0प्र0आबकारी अधिनियम के अपराध की विशिष्ट्या पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति की।

तदनुसार स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये न्यायालय अवसान तक के कारावास व १५-७००/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त/गण ने आरोपित अर्थदण्ड की राशि रुपये

१५-७००/- (अठारह सौ रुपये) ई पैमेंट

0070..... चालान क्र 0070..... पर जमा की जिसे

उसकी रसीद प्रदान की गई।

निष्कर्ष नियमित आपराधिक पंजी में अंकित कर समयावधि में प्रकरण विधिवत तैयार कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

पुनश्च:-

अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा भुगतवाई जाकर प्रत्यक्ष में रिहा किया गया।

जितेंद्र पिता गानसिंह जी ४५
नियामा ग्राहक भववा
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

जे०एम०एस० देपालपुर
न्यायिक नॉन-स्टेट प्रोपर्टी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)